

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

ग्राहण- सरायकैसराय विधि- डाक्टोर्स जनपद- श्रीकृष्ण

ग्राम पंचायत में दिनांक...[6] 12023 को ग्राम पंचायत की एक वैठक आहूत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-

1- ग्राम पंचायत की एक वैठक ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है-

2- पैयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग/ पंचायती राज विभाग/ राज्य पैयजल एवं स्वच्छता मिशन/ राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पैयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पैयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वयित कर सकें।

4- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं/ सेवाओं हेतु रख-रखाव/ उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।



- ६- राष्ट्रीय स्तर की समिति को प्रस्तुत हेतु ग्राम पंचायत पेशजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।
- ७- ग्राम पंचायत पेशजल एवं स्वच्छता समिति को शोजना की रूपरेखा बनाने एवं उसे कियान्वयित करने के रूप एवं विभिन्न युक्ति एवं आवश्यकतायुक्ति प्रदान करने एवं "Shign Off" हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत पेशजल एवं स्वच्छता समिति को जनुसार जलापूर्ति एवं स्वच्छता की शोजनाओं को कियान्वयित करने हेतु एकत्रीकृत विकल्पों पर विचार लेने हेतु अधिकृत किया गया।
- ८- ग्राम पंचायत पेशजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि तह पेशजल आपूर्ति एवं स्वच्छता से विद्युत शोजने हेतु सामुदायिक अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेंटों के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) एवं स्वीकृत प्रक्रिया (PROCEDURE) एवं अनुरूप प्रत्र (CONTRACT) हस्ताक्षरित करें।
- ९- ग्राम पंचायत पेशजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह निम्नों अनुसार निर्णय लागती का उपर्युक्त एवं उपराज्य कराएं तथा उस सामग्री की मुद्रतत्त्व को सुनिश्चित करें।
- १०- ग्राम पंचायत पेशजल एवं स्वच्छता समिति को साक्षी समस्त गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल व्यवस्था एवं एकत्र करने का विर्युद्ध किया गया।
- ११- ग्राम पंचायत पेशजल एवं स्वच्छता समिति को साक्षीताओं की शिकायतों का सामाधान करने के लिये भी अधिकृत किया गया। तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबन्ध हेतु तैयार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति के विविध विधियों के सहस्रों प्रतान करें।
- १२- ग्राम पंचायत पेशजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि तह बहु-ग्रामीण पेशजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु-ग्रामीण शोजनाओं से सम्बन्धित अन्तर ग्राम सुविधाओं (यदि लागू हो तो) सामान्य सुविधाओं के सम्बन्ध एवं अधिकारों जलापूर्ति हेतु संयोजन करें।

ग्राम पंचायत पेशजल एवं स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षरः—

संख्या	संदर्भ का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर द्वारा दिनी अनुठाँ
१	रमेश देवी	अध्यक्ष	२२ वार्दी दी
२	रमेश देवी	सचिव	
३	कृष्ण देवी	कोषाधारी	०१९३८३८५१
४	प्रमा भन्द	सामान्य सदस्य	प्रमा भन्द
५	मिशी भास्तु	सामान्य सदस्य	मिशी भास्तु
६	कुमारी दुर्घाट	सामान्य सदस्य	कुमारी दुर्घाट
७	रमेश कोली गोतम	सामान्य सदस्य	रमेश कोली गोतम
८	लिला भास्तु	सामान्य सदस्य	लिला भास्तु
९	रमेश प्रसाद	सामान्य सदस्य	रमेश प्रसाद
१०	रमेश प्रसाद गोतम	सामान्य सदस्य	रमेश प्रसाद गोतम
११	आर्द्रलाल भास्तु	सामान्य सदस्य	आर्द्रलाल भास्तु
१२	रमेश गोतम	सामान्य सदस्य	रमेश गोतम
१३	रमेश प्रसाद	सामान्य सदस्य	रमेश प्रसाद
१४	रमेश देवी	सामान्य सदस्य	रमेश देवी
१५	रमेश रिरोमाठी	सामान्य सदस्य	रमेश रिरोमाठी

